अवर सचिव
UNDER SECRETARY

उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX : 23018124

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/61/2013-14

17 सितम्बर, 2013

सेवा में,
श्री राम सेवक शर्मा
मुख्य सचिव झारखण्ड।
रांची।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु

महोदय,

संलग्न पत्र श्री रामाश्रय सिंह, सलाहकार, घटवार आदिवासी महासभा, क्वार्टर सं. आई एम-567, पो. सिंदरी 828122, जिला धनबाद, झारखण्ड, का दिनांक 9 सितम्बर, 2013 का पत्र दिनांक 16 सितम्बर, 2013 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसके साथ इन्होंने 10/- रु. का पो.आ. संख्या 15एफ 597746 संलग्न कर अपने आवेदन पत्र पर की गई कार्यवाही की जानकारी चाही है चूंकि पत्र विषय झारखण्ड राज्य में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने संबंधी है। अत: इनका आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत आपको हस्तांतरित किया जा रहा है। कृपया कृत कार्यवाही से आवेदक तथा अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का कष्ट करें।

यदि यह विषय-वस्तु आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हो तो कृपया इसे उस सूचना अधिकारी को हस्तांतरित करने का कष्ट करें जिसके यह निकट से संबंधित हो।

धन्यवाद,

भवदीय,

(महिताब सिंह)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि:-
श्री रामाश्रय सिंह, सलाहकार, घटवार आदिवासी महासभा, क्वार्टर सं. आई एम-567, पो. सिंदरी 828122, जिला धनबाद, झारखण्ड-कृपया अधिक जानकारी हेतु उपरोक्त सी पी आई ओ से संपर्क करें।

(महिताब सिंह)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

नियम 3 (1) देखें

सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र

आई0 डी0 स0..........................

(कार्यालय प्रयोग के लिए)

President's Secretariat Dy. No. 16/9/13 New Delhi

सेवा में,

लोक सूचना पदाधिकारी

(विभाग/कार्यालय)

Vice President

Govt of India - New Delhi

1. आवेदक का नाम : Ramswamy Singh
2. पूरा पता : Shiv - Co 0105 567 Jinal -
   Shamlal

3. माँगी गई सूचना का ब्योरा (संक्षेप में) : "स्वक आरोप के आलोक में की गई कार्रवाई से अवगत कराये जाए।

4. मैं एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मेरी पूरी जानकारी में माँगी गई अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 एवं 9 के अंतर्गत मुक्त नहीं है ये आवेदन कार्यालय ....से सम्बंधित है।

5.

(1) मैंने 10/- रूपये (शब्दों में) दस .... तिथि 11/9/13 को रसीद सं0 15/F 55 ... विभाग/कार्यालय में भुगतान किया है।

(2) मैं डिमांड ड्राफ्ट/भुगतान देय सं0................दिनांक........................जो पदाधिकारी के पक्ष में भुगतान देय....................बैंक द्वारा जारी किया गया है, फीस के रूप में संलग्न करता हूँ।

(3) मैंने........................रूपया ननजुडिशियल स्टाम्प इस आवेदन पत्र के साथ लगा दिया (संलग्न कर दिया) हूँ।

(4) मैं गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवार का हूँ। मेरे कार्ड/वांछित छया प्रतिलिपि संलग्न है।

स्थान - Shamlal

रामस्वरूप सिंह 11/9/13

आवेदक का हस्ताक्षर

तिथि - 11.09.13

"इ" मेल पता, अगर कोई हो........................

दूरभाष संख्या........................

कार्यालय अथवा आवेदक के पत्राचार का पूरा पता........................

दिनांक – 09.09.2013

त्राहिमाम फरियाद विशेष और व्यक्तिगत रुप से

रामाश्रय सिंह
सलाहकार, घटवार आदिवासी महासभा
संबद्ध– जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्यव
सदस्य, पी0यू0सी0एल0
क्वार्टर नं0–आई0एम0 567
पो0–सिन्दरी–828122,
जिला–धनबाद (झारखण्ड)
मो0–08986826847

प्रतिष्ठा में,

परम प्रतिष्ठित महामहिम प्रधानमंत्री जी,
भारत सरकार, साउथ ब्लॉक (नई दिल्ली)।

प्रतिलिपि,
प्रतिष्ठा में,

परम प्रतिष्ठित महामहिम उप–राष्ट्रपति जी
भारत सरकार, 6–मौलाना आजाद रोड (नई दिल्ली)

प्रतिष्ठा में,

परम प्रतिष्ठित महामहिम राष्ट्रपतिजी
भारत सरकार, राष्ट्रपति भवन (नई दिल्ली)

विषय :लोकहित में संलग्न आरोप झारखण्ड में लोकतंत्र पर लूट तंत्र का कब्जा से मुक्ति हेतु।

सर्वप्रथम आपके द्वारा दी गई निर्देश के आलोक में कार्यवाइ न करने के विरुद्ध सख्त से सख्त और समय सीमा के अन्दर कार्यवाइ करने का निर्देश देने का परम कृपा करने का कष्ट करें

त्राहिमाम फरियाद आप लोकहित में व्यक्तिगत रुप से हस्तक्षेप करें।

लिस्ट ऑफ डाकुमेन्टस

1. प्रधानमंत्री जी ने – एनेक्सर–1 से 5 में उल्लेख 5 बार लोकहित में कार्यवाइ करने के लिए मान्यवर मुख्य सचिव झारखण्ड को निर्देश दिए के आलोक में कार्यवाइ करने के लिए मौखिक रुप से कार्यवाइ रोक दी गई हैं
2. उप राष्ट्रपति जी ने – एनेक्सर–6 में उल्लेख कार्यवाइ करने का निर्देश दिए है।
3. राष्ट्रपति जी ने – एनेक्सर–7 और 8 में उल्लेख कार्यवाइ करने का निर्देश दिए।
4. गृह मंत्रालय भारत सरकार ने – एनेक्सर–9 में उल्लेख निर्देश।

5. गृहमंत्री जी भारत सरकार के हस्तक्षेप पर – एनेक्सर–10 में उल्लेख 2004 में कार्यवाइ करने का निर्देश।

6. राज्यपाल महोदय झारखण्ड ने – एनेक्सर–11 में कार्यवाइ करने का निर्देश दिए।

अतः हे महामहिम उपर्युक्त आरोप के आलोक में कम से कम 200 बार लोकहित कार्यवाइ हेतु निर्देश दी गई पर कार्यवाइ न तो दिखाई दिया ना तो सुनाई दिया।

सर्वप्रथम तो लोकहित में यथा ही शीघ्र उपर्युक्त निर्देश के आलोक में कार्यवाइ न करने के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाइ करने का निर्देश दे कर झारखण्ड का उद्धार करें और परम उपकार करे। लूट भ्रष्टाचार से झारखण्ड को मुक्त करें।

सधन्यवाद

प्रार्थी

रामाश्रय सिंह

रामाश्रय सिंह